कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्याः–   /एम0सी0जे0–2025/ई0सी0–1/संवि0विस्तार   दिनाँकः 09–जुलाई–2025

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, के शासकीय पत्र संख्या–152/71–1–2024 लखनऊ दिनांक–20 जून 2024 एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पृष्ठांकन संख्या–एम0ई0–2/2024/1544–45 लखनऊ दिनांक–21 जून 2024 जोकि इस कार्यालय के डायरी संख्या–4695 दिनांक–21.06.2024 पर अंकित है एवं पुनः महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय संख्या–एम0ई0–2/2024/1630 लखनऊ दिनांक–02 जुलाई 2024 द्वारा संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षक गण की तैनाती/नियुक्ति एवं संविदा कार्यकाल विस्तारित किये जाने सम्बन्धित प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में इस चिकित्सा महाविघालय के 01 चिकित्सा शिक्षक की संविदा अवधि पूर्ण होने के क्रम में, जनरल सर्जरी विशिष्टता में संविदा के आधार पर कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से आगे 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए **संविदा अवधि बढ़ाये जाने** की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2– यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक–

1. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
2. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे।
3. मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
4. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
5. निर्धारित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
6. स्थानांतरित नहीं किये जायेंगे।
7. संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे। संविदा कालावधि में कोई प्रशासकीय एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिया जायेगा।
8. चिकित्सा शिक्षकों की संविदा सेवाओं से सम्बन्धित समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन हेतु बाध्य होंगे।

3– शासनादेश संख्या 4661/71–1–08–जी–63/2008 दिनांक 15–12–2008, शासनादेश संख्या 909/71–1–13–जी–1/2011 दिनांक 11–04–2013, शासनादेश संख्या सी0एम0–03/71–1–2014–जी–63/08, दिनांक 22–01–2015, शासनादेश संख्या 104/2019/5044/71–1–9–जी–63/2008 दिनांक 21–11–2019 एवं शासनादेश संख्या 1346/71–1–2010–जी–63/2008 दिनांक 07–06–2010, शासनादेश संख्या 2282/71–1–2013–जी–1/2011 दिनांक 13–09–2013 एवं शासनादेश संख्या 819/71–1–2015–जी–77/2015 दिनांक 07–06–2010 आदेश संख्या 1/160855/2022–71–1001/804/2020 दिनांक 24–04–2015 में निर्धारित शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत् **लागू रहेगें।**

4– उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनाँक 21–11–2019 एवं 24.04.2015 एवं 18–07–2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्याः–2636 / एम0सी0जे0–2025 / ई0सी0–1 / संवि0विस्तार तददिनाँक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ।
10. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
11. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
12. कुलपति, अटल विहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0।
13. मुख्य कोषाधिकारी, झाँसी।
14. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झाँसी।
15. विभागाध्यक्ष, सर्जरी विभाग मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
16. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
17. नोडल अधिकारी, ई–हास्पिटल / बायोमैट्रिक / एन0एम0सी0 / वेबसाइट / मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
18. प्रशासनिक अधिकारी, मेडिकल कालेज, झाँसी।
19. लेखानुभाग (कॉलेज) / कैशियर **द्वारा आहरण वितरण अधिकारी**, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
20. सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्याः–   /एम0सी0जे0–2025/ई0सी0–1/संवि0विस्तार दिनाँकः   –जुलाई–2025

का संलग्नकः–

क्र0 सं0	चिकित्सा शिक्षक का नाम एवं पदनाम	विशिष्टता	शासनादेश संख्या एवं दिनाँक जिसके द्वारा कार्यकाल बढ़ाया गया/नियुक्ति की गयी	कार्यकाल समाप्ति की तिथि
1	डा0 धनंजय सक्सेना सहायक आचार्य	जनरल सर्जरी	1914/एम0सी0जे0–2024/ई0सी0–1/संवि0 दिनाँक 06–07–2024	08–07–2025

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।